न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/41/18	20–03–2018	02–07–2019

01. हसन मोहम्मद पुत्र श्री बसारत खॉ उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत मूसाखेड़ा हाल ग्राम पंचायत दौंगडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 26–02–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–873/1996 प्रकरण संख्या 24/2017

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 26–02–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–873/1996 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलम्बित किया है। अपीलीय निर्णय पारित करने से पूर्व समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर अपीलान्ट को प्रदांन नहीं किया गया है। अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत मूसाखेडा के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण की बाबत जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 1801 दिनांक 9.2.17 के जरिये रोक लगाई गई और ग्राम पंचायत दौंगड की अभिशंषा पर अपीलान्ट की सप्लाई दिनांक 1.5.17 को बहाल/चालू कर दी गई थी। दिनांक 31.7.17 को अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत करने वाले व्यक्तियों की जांच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई थी एवं ग्रामवासियों की भी जांच की गई थी। दिनांक 2.11.17 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए तहत अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया। खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार की किशनगढबास में आयोजित जन सुनवाई के आधार पर अपीलान्ट के प्रकरण में पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 14.2.18 जारी किया गया जिसका विधिवत् जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.2.18 को प्रस्तुत किया गया। जवाब पेश होने के उपरान्त दिनांक 26.2.18 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर अपीलीय आदेश पारित कर दिया गया, आलौच्य निर्णय में अपीलान्ट को जांच के समय उपस्थित नही होने एवं दुकान बंद रखने का तथ्य अंकित किया गया है। वक्त निरीक्षण ग्राम न्याणा के उपभोक्ता मिल और उन्होनें शिकायतकर्ताओं के बजाए राशन वितरण पर संतोष व्यक्त किया और डीलर से ही राशन वितरण करवाने की बता कहीं एवं दिनांक 31.7.17 को प्रवर्तन निरीक्षक को सरपंच, उप सरपंच वार्ड पंच ग्राम पंचायत दौंगडा द्वारा ग्राम पंचायत लैटर पेड पर हस्ताक्षर व मोर युक्त डीलर के पक्ष में अभिशंषा पत्र पेंश किया गया था। अपीलान्ट वर्ष 1996 से उचित मूल्य दुकान का सचालन कर रहा है अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट के विरूद्व

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रकरण सोची समझी राजनैतिक द्वेषता एवं रंजिश के चलते निर्मित किया गया है। ग्राम न्याणा के कुछ उपभोक्ता जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नही है जिस कारण से उन्हें नियमानुसार गेहूँ नहीं मिलता है और वह दबाव बनाकर अपीलान्ट से गेहूँ प्राप्त करना चाहते है। आपसी रंजिशवश शिकायकर्ता बार बार झूठी शिकायत करने के आदि है। शिकायतकर्ताओं द्वारा श्मशान भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था जो अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमियों का सहयोग नहीं करता है। उपभोक्ताओं ने जिला रसद अधिकारी अलवर के समक्ष अपीलान्ट के पक्ष में शपथ–पत्र पेश कर अपीलान्ट का राशन वितरण कार्य सही व संतोषजनक होना बताया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही बताई गई थी। जिस तथ्य से यह स्पस्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। फर्द मौका एवं उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ राशन वितरण में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में अपीलान्ट द्वारा वितरण सुचारू रूप से किया जाता तो माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार की किशनगढबास में आयोजित जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा शिकायत नहीं की गई होती। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि ग्रामवासियान अपीलान्ट के पक्ष में जिला रसद अधिकारी अलवर के समक्ष अपीलान्ट के पक्ष में शपथ–पत्र पेश कर अपीलान्ट का राशन वितरण कार्य सही व संतोषजनक होना बताया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही बताई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलार्थी को शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर जिला रसद कारण बताओं नोटिस दिनांक 14.2.18 जारी किया गया जिसका विधिवत् जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.2.18 को प्रस्तुत किया गया था , जिला रसद अधिकारी द्वारा जवाब पेश होने पर दिनांक 26.2.18 को आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया जो प्रक्रियात्मक त्रुटि रही है अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी, अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट का विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर